भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2751 का उत्तर

निजीकरण के फायदे

2751. श्री सत्यदेव पचौरीः
श्री एस.आर. पार्थिबनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रेल का निजीकरण व्यापक लोक हित में है तथा दिल्ली एवं लखनऊ के बीच एक निजी रेलगाड़ी चलाने से सरकार को होने वाले अतिरिक्त फायदे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निजीकरण प्रक्रिया घाटे के परिणामस्वरूप अपनाई गई है तथा भारतीय रेल की तुलना में निजी कंपनियों द्वारा रेलगाड़ियां चलाई जाने का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश यात्री-हितैषी हैं;

(घ) क्या पहले से कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी की कार्य-अवधि एवं अन्य विशेषताओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है;

(ङ) क्या "रेलवे भर्ती बोर्ड" निजीकरण की उभरती प्रक्रिया में मानव संसाधन की भूमिका निभाएगा; और

(च) क्या सुरक्षा से मल-जल नियंत्रण तक यात्रा संबंधी वातावरण के संरक्षण के लिए कोई अतिरिक्त निधि सृजित की गई है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

निजीकरण के फायदे के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को लोक सभा में श्री सत्यदेव पचौरी और श्री एस.आर. पार्थिबन के अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रेल ने प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, कर्षण प्रभार आधार पर लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई खंडों पर 2 (दो) तेजस गाड़ी सेवाएं परिचालित करने के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), जो भारतीय रेल के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है, को प्राधिकृत किया है। इनमें से, लखनऊ-नई दिल्ली तेजस ने 04.10.2019 से सेवा शुरू कर दी है। अन्य बातों के साथ-साथ, रेल मंत्रालय ने एक वर्ष की अवधि के लिए एक सचिव दल (जीओएस) का भी गठन किया है ताकि निजी यात्री गाड़ी संचालकों को भारतीय रेल नेटवर्क पर विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के साथ बेहतर और मूल्य-संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए गाड़ियों का परिचालन करने की अनुमति दी जा सके। अभी तक, सचिव दल ने चार बैठकें की हैं और इस संबंध में तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ): जी नहीं। ठेका समाप्त होने पर ठेका श्रमिकों के स्वतः आमेलन के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, प्रधान नियोक्ता के रूप में रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेका श्रमिकों को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी सहित श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्षेत्रीय रेलों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं कि उपरोक्त कानूनों के उल्लंघन के मामले, यदि कोई हों, तो उनसे मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

(ङ): रेलवे भर्ती बोर्ड सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों की समूह 'ग' के कर्मचारियों की भर्ती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यदि अधिदेशित होता है, तो आगामी निजीकरण में मानव संसाधन के संबंध में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

(च): 2016 में, पर्यावरण से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए सभी स्वीकृत कार्यों में 1% लागत आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया था। मल-जल उपचार संयंत्र को पर्यावरण से संबंधित अनुमेय कार्यों में शामिल किया गया है।

*****